

129 सन् 2017

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
5/5/17	<p>सार्धना पत्र अन्तर्गत धारा 136 LRAet कायलियु से रिपोर्टे सेक्टर जरिये अधिभाषक श्री सीताराम शर्मा पेश हुआ। अवलोकन किया गया। दर्ज राफित पर लिया जावे। परा पुरा तलबाने से सप्रतीजन की तलबी की जाकर पत्रावली दिनांक 12/06/17 की पेश हो।</p> <p>3.</p>	
2/6/17	<p>पत्रावली राजस्व लीड अदालत हेम कोर्ट में पेश हुयी। निर्णय नहीं हुआ। पत्रावली प्रकृतुमाए दि. 11.2.17 की पेश हो।</p> <p>3.</p>	
10-6-17	<p>प्राथमिक द्वारा पत्रावली अनिर्णित पत्रावली की निवेदि हेम में सुनवाई करने पेश करने पर पत्रावली आज राजस्व लीड अदालत 80 निवेदि में पेश हुआ प्राथमिक के जो पत्र का अवलोकन मतत किया गया। सुनिवेदि पत्र आरजी ख-ने 112/11/13 हॉल स. नं. 112/13 रकम 02 बीघा 13 बिस्वा बाके ग्राम चैनपुरा को ले 17 बिस्वा ग्राम राष्ट्रीय राजमार्ग में स्थाप होने के पश्चात शेष क्षति की तरमीप उकालत NH-12 के प्रवी निष्प</p>	

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नंबर  
अहमद  
हुकम  
में

01 बीठा 02 बिल्वा एवं पश्चिम तरफ 05  
बिल्वा क्षुमि की तरमीम किया जाने है  
आदेश पारित फरमावे।

जवाब रिपोर्ट तहसीलदार निवा इलाहाबाद

मुताबिके जवाब त-नं 112/4 टकवा 01/07  
बीठा की क्षुमि में जो N.H. की लाईड की  
गयी है। बट गलत है। हुकम नम्बर पर  
कब्जा N.H. में पश्चिम है जो कब्जे की स्थिति  
बतायी गयी है। उम्मानुसार कब्जा नहीं है।  
त-नं 112/4 पर N.H. में पूरबी लाईड में लगभग  
05 बिल्वा क्षुमि पुपुर्देगी नामे झुमार झारी है।  
जिसमें तेलगुआ 03 बिल्वा क्षुमि ललताडी रोड  
में गयी है। शेष क्षुमि पर 02 बिल्वा पर  
अन्य नम्बर की तरमीम जरूरत शीर में ही  
रही है। शेष 01 बीठा 02 बिल्वा क्षुमि N.H.  
में पश्चिम में है। एवं उसी पर कब्जा है।  
उम्मानुसार ही तरमीम किया जाना संभव  
है।

पुनः पुनः जवाब तहसीलदार निवा  
का अवलोकन भ्रम करके डे परचात, पारसी  
का प्र. प्र. नवीकार किया जाता है।  
तहसीलदार निवा की रिपोर्ट अनुसार  
त-नं 112/4 नंवे ग्राम चैतपुरा की तरमीम  
किये जाने है आदेश दिये जाते हैं।  
पत्रावली फैसल शुभाए होकर नम्बर  
के कम ही तथा दफतर दारखिल है।

30/6/17